फर्द अहकाम

नियम 20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारिख अहकाम जो हुक्म को तामील जारी हुए
14.10.22	प्रतिवादी पेश हुई। वकील मुख्य पक्ष सुना। प्रतिवादी वाते 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 की तल्बी प्रकरण बाद पश्चात पूर्व प्रतिवादी दिनांक 16.11.22 को पेश हो।	
16.11.22	प्रतिवादी पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित बार-बार आवाज लगाई गई। वादी व उसका वादी अनुपस्थित। इस से यह स्पष्ट है की वकील वादी व उसका वादी अपने दावे को लेकर गम्भीर नहीं है। प्रकरण इसी स्तर पर अनुशासनहीनता अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जाता है। प्रतिवादी केवल खर्चा हेतु शामिल अन्तर है।	

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner